न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 2022/467 टोंक

रविन्द्र देव सिंह पुत्र जयराज सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम भांसू तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक।

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत नियम 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
दिंनाक 21–09–2022

———

उपस्थितः 1– श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 06–02–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ग्राम भांसू तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक का निवासी है तथा अपीलार्थी शस्त्र 22 बोर राईफल एस.बी.बी.एल. 1312 एन.एस.ए शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 62/2007 जिसका यूआईडी नम्बर 295401003575162022 है, का धारक है। अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण दिनांक 26–4–2007 से 26–4–2010 तक लगातार किया जाता रहा था। उक्त शस्त्र का अनुज्ञा पत्र पुनः नवीनीकरण किये जाने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के समक्ष आवेदन मय शपथ पत्र दिनांक 24–2–2022 को प्रस्तुत किया तथा शस्त्र अनुज्ञा पत्र पुनः नवीनीकरण किये जाने का निवेदन किया गया तथा वर्ष 2010 से 2024 तक का एएमटी कुल राशि 15400/– लाईसेंस नवीनीकरण फीस जरिये चालान जमा कराई जा चुकी है जिस पर जिला मजिस्ट्रेट ने विभिन्न विभागों से अपीलार्थी के चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट चाही गई जिनके द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के विरूद्ध किसी भी प्रकार

का आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं होना अंकित करते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की गई। अपीलार्थी अपने निजी कार्यो में व्यस्त रहने के कारण काफी समय से अहमदाबाद, गुजरात में निवास करने के कारण उक्त समयावधि में शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं करा सका। जिस पर जिला मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी को पत्र प्रेषित कर अहमदाबाद में रहने के दौरान शस्त्र के उपयोग किये जाने बाबत रिपोर्ट चाही गई जिस पर दिनांक 16–5–2022 को अपीलार्थी ने मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त कालावधि 11 वर्ष 8 माह में मेरे द्वारा शस्त्र का उपयोग नहीं किया गया है मेरा शस्त्र मेरे घर पर सुरक्षार्थ अलमारी में रखा हुआ था। जिस पर पुनः जिला पुलिस अधीक्षक टोंक से रिपोर्ट चाही गई जिस पर दिनांक 1–8–2022 को पुलिस अधीक्षक टोंक द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होकर चाल चलन सद्भाविक होकर शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने बाबत कथन किया इसके बावजूद भी जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक ने उक्त कानून प्रावधानों को नजर अन्दाज करते हुए अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र अपने आदेश दिनांक 21–9–2022 द्वारा निरस्त कर दिया। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश दिनांक 21–9–2022 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट टोंक द्वारा अंतिम निर्णय से पूर्व अपीलार्थी को नोटिस नहीं दिया एवं न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया। इस कारण अपीलार्थी को उक्त आदेश दिनांक 21–9–2022 की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलार्थी जब जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचा तो उसे उक्त आदेश की जानकारी हुई कि उसका शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा चुका है। जिस पर अपीलार्थी ने उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर दिनांक 30–11–2022 को अजमेर आकर अभिभाषक नियुक्त कर जानकारी दिनांक से अपील तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी जिला मजिस्ट्रेट टोंक के राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार

योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा कारण भी नहीं दिया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील को मियाद के बिन्दु पर ही निस्तारित करते हुए अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं रहा है। अपीलार्थी द्वारा कभी भी शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया जाना न्यायसंगत था। आयुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत शस्त्र अनुज्ञा पत्र आयुद्ध अधिनियम के विपरीत अपराध कारित किये जाने पर या तो शस्त्र का दुरूपयोग कर शांति भंग किये जाने का अपराध कारित करने पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण में हुए विलम्ब के लिए समुचित एवं युक्तियुक्त कारण अपीलार्थी निजी कार्यो में व्यस्त रहने व काफी समय से अहमदाबाद गुजरात में निवास करने के कारण नवीनीकरण नहीं करा पाना स्पष्ट अंकित कर दिया गया फिर भी जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि आयुद्ध अधिनियम में नवीनीकरण हेतु विलम्ब होने पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में की गई कार्यालय टिप्पणी के पैरा संख्या 18 में स्वयं अंकित किया है कि गृह विभाग के परिपत्र दिनांक 30–5–2019 के बिन्दु संख्या 2(i) के अनुसार विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जा सकता है साथ ही आयुद्ध अधिनियम 2016 के नियम 27 के अनुसार 2000/– रूपये विलम्ब फीस लिये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी द्वारा विलम्ब शुल्क जमा कराया जा चुका था। अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किये जाने में कोई कानूनी

बाधा नहीं थी इसलिए अपीलार्थी से विलम्ब शुल्क व नवीनीकरण शुल्क जमा करवा लिया था इसके बावजूद भी कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–09–2022 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 62/2007 नवीनीकरण किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण हेतु 11 साल 8 महीने बाद नवीनीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो भारी विलम्ब 12 साल का था। अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र इतने वर्षो तक नहीं कराना निजी कार्य में व्यस्त रहने का कारण बताया जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने उक्त विलम्ब का आधार संतोषजनक नहीं माना। जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र सही खारिज किया है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक का आदेश दिनांक 21–09–2022 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलार्थी द्वारा शस्त्र 22 बोर राईफल एस.बी.बी.एल. 1312 एन.एस.ए शस्त्र अनुज्ञा पत्र संया 62/2007 जिसका यूआईडी नम्बर 295401003575162022 के नवीनीकरण हेतु 11 वर्ष 8 माह पश्चात जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिला पुलिस अधीक्षक,टोंक व तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा अपीलार्थी के ग्राम भांसू में 12 वर्षो से निवास करने व मूल निवास ग्राम भांसू तहसील टोडारायसिंह का होने का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में किया है। किसी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया है कि अपीलार्थी अहमदाबाद गुजरात में किन कारणों से रहा है तथा वहां पर रहकर क्या कार्य किया गया से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा अपील मीमों में यह उल्लेखित किया है कि उसका शस्त्र उक्त कालावधि 11 वर्ष 8 माह में मेरे द्वारा शस्त्र का उपयोग नहीं किया गया है मेरा शस्त्र मेरे घर पर सुरक्षार्थ अलमारी में रखा हुआ था। शस्त्र घर पर अलमारी में रखना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि शस्त्र घर पर रहने से किसी भी प्रकार की अनहोनी होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह भी प्रतीत नहीं होता है कि अपीलार्थी को

किसी से जानमाल का खतरा हो और उसे शस्त्र की आवश्यकता हो। साथ ही अपीलार्थी द्वारा विलम्ब का कारण निजी कार्य होने का उल्लेख किया है जो संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है। जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा भारी मियाद अवधि को देखते हुए अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण के आवेदन पत्र को उनके आदेश दिनांक 21–09–2022 द्वारा निरस्त किया जाकर शस्त्र को थानाधिकारी पुलिस थाना टोडारायसिंह में जमा करने के निर्देश दिये है जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक का आदेश दिनांक 21–09–2022 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर